राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(549) परि/नियम/मु./2016/25350 जयपुर,दिनांकः 07.12.2016

कार्यालय आदेश संख्या....44..../2016

विभागीय आदेश संख्या 35/2016 दिनांक 30.09.2016 द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया स्पष्ट की गई थी। उक्त आदेश के माध्यम से प्रथम चरण में 31.03.2001 तक पंजीकृत वाहन जिनके द्वारा 15 वर्ष पश्चात् भी पुनः पंजीयन (परिवहन यान की दशा में) अथवा पंजीयन नवीकरण नहीं करवाया गया है, के पंजीयन नवीनीकरण करवाने एवं तय सीमा में नवीनीकरण नहीं कराने पर नियमानुसार पंजीयन निरस्त करने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। इस योजना का प्रचार/प्रसार समाचार पत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

इस योजना के तहत् यह अपेक्षित है कि वाहन स्वामियों द्वारा 31.03.2001 तक पंजीकृत वाहनों का पुनः पंजीयन/ पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जायेगा। जिससे विभाग को इन वाहनों से फीस/ग्रीन टैक्स एवं पुराने बकाया कर की राशि के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी। विभाग को इस प्रकार के वाहनों जो सड़क पर संचालन योग्य है, की वास्तविक संख्या एवं इससें प्राप्त राजस्व पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु यह निर्देशानुसार यह आदेशित किया जाता है कि कि प्रत्येक रीजन में नीचे वर्णित सारणी में अंकित न्यूनतम वाहनों के पुनःपंजीयन/पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जावे।

क्रम संख्या	परिवहन जिले का नाम	31.03.2001 तक कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या	पुनःपंजीयन/पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु आवंटित संख्यात्मक लक्ष्य
1.	जयपुर	649769	32488
2.	दौसा	66150	3307
3.	सीकर	103497	5175
4.	अलवर	130245	6512
5.	भरतपुर	105446	5272
6.	अजमेर	315242	15762
7.	जोधपुर	339869	16993
8.	पाली	143274	7162
9.	उदयपुर	293195	14660
10.	चितौड़गढ	180351	9017
11.	कोटा	316966	15848
12.	बीकानेर	296366	14818
	कुल	**2940370**	**147014**

साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि:

1. प्रत्येक प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 35/2016 में वर्णित योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार का कार्य प्रिंट/विजुअल मीडिया के माध्यम से किया जावे, ताकि अधिकाधिक वाहन स्वामी अपने वाहनों का पुनःपंजीयन/पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण का कार्य सुचारू रूप से करवा सके।
2. प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा उपर वर्णित सारणी में अंकित वाहनों के पुनःपंजीयन/पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का लक्ष्य उनके अधीन पड़ने वाले जिला परिवहन कार्यालयों को भी उनके क्षेत्राधीन दिनांक 31.03.2001 तक पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये इस आदेश के जारी होने की दिनांक की 07 दिवस की अवधि में आवंटित किये जाये। इस प्रकार से आवंटित लक्ष्यों की सूचना विभागीय ई–मेल: transport.rules@rajasthan.gov.in पर दिनांक 27.12.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवायेगें।
3. जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 7 तारीख तक संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निम्न सारणी में भिजवाई जायेगी, तत्पश्चात् संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ जिलों से प्राप्त सूचना का संकलन कर यह सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभागीय ई–मेल: transport.rules@rajasthan.gov.in से आवश्यक रूप से भिजवाई जायेगी।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय का नाम:
माह का नाम:

क्रम संख्या	परिवहन जिले का नाम	वाहन की श्रेणी	कुल वाहनों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रूपयों में)			
				फीस	ग्रीन टैक्स	अन्य बकाया कर	कुल प्राप्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
1.		गैर- परिवहन यान					
2.		परिवहन यान					
कुल							

उक्त आदेश की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जावे । पालना सुनिश्चित नहीं किये जाने पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8/12

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
क्रमांकः प.7(549) परि/नियम/मु./2016 /25351-355 जयपुर, दिनांकः 09.12.2016.

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)...............................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला परिवहन अधिकारी (नियम)